Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

एफ(49)/वेतन सेल/आयकर/2017–18/14413-52 दिनांक 17/1/2

परिपत्र

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेन्ट (UTD) के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 (कर निर्धारण वर्ष 2018–19) के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 (वेतन से आयकर की कटौती) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आयकर की गणना एवं आयकर में छूट हेतु आयकर नियमों के अन्तर्गत विनियोजित राशि का संलग्न प्रपत्र (Form No. 12BB) में विवरण एवं विनियोजित प्रपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति दिनांक 25.01.2018 तक आवश्यक रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी/वेतन सेल को प्रेषित करने का श्रम करें। इसके अभाव में आगामी माह जनवरी 18 एवं फरवरी 18 के वेतन से वर्ष 2017–18 हेतु अवशेष आयकर राशि (टी.डी.एस.) की कटौती कर ली जावेगी।

साथ ही, अतएव, समस्त कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/यूनिट इंचार्ज से निवेदन है कि आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त परिपत्र में वर्णितानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करने का श्रम करें।

उक्त परिपत्र staff@rtu.ac.in एवं faculty@rtu.ac.in पर विश्वविद्यालय कार्मिकों के सूचनार्थ प्रेषित किया जा चुका है।

संलग्न : Form No. 12BB

(आर.एल. परसोया)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1 निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय
2 समस्त कार्यालयाध्यक्ष.....................
3 समस्त विभागाध्यक्ष (यू.टी.डी.) ..../यूनिट इंचार्ज ....
4 सहायक अनुभाग अधिकारी, वेतन सेल को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र समस्त कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/यूनिट इंचार्ज को यथा समय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त परिपत्र के क्रम में प्राप्त दस्तावेजों/प्रपत्रों/सूचनाओं को दिनांकवार संधारित करने तथा विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार को आयकर की गणना हेतु यथा समय उपलब्ध करावें।
5 मैसर्स विशाल गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ(3)/वित्त एवं लेखा/CA Audit/2017–18/181–82 दिनांक 25.04.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2017–18 में भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तों की गणना एवं उनके द्वारा विनियोजित राशि के समक्ष प्रपत्रों/दस्तावेजों को आयकर नियमानुसार जांच करते हुए संबंधित कार्मिकों के माह जनवरी–18 एवं फरवरी–18 के वेतन से वर्ष 2017–18 हेतु कटौती योग्य अवशेष आयकर (TDS on salary) की गणना कर शीघ्र ही उपलब्ध करावें।
6 श्री दीपक भाटिया, वेब मास्टर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र व संलग्न Form No. 12BB को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विश्वविद्यालय कार्मिकों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का श्रम करें।

16.1.18.

(मनोज कुमार जाँगिड़)
सहायक कुलसचिव (वित्त एवं लेखा)
एवं आहरण–वितरण अधिकारी

New File 10-01-2017 639

Annexure IIa

FORM NO. 12BB

(See rule 26C)

1. Name and address of employee :			
2. Permanent Account Number of the employee :			
3. Financial year :		**2017-18**	
Details of claims and evidence thereof			
S No.	**Nature of claim**	**Amount (Rs.)**	**Evidence/ particulars must be enclosed**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	House Rent Allowance :		
	(i) Rent paid of the landlord		
	(ii) Name of the landlord		
	(iii) Address of the landlord		
	(iv) Permanent Account Number of the landlord		
	Note : Permanent Account Number shall be furnished if the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees		
2	Leave travel concessions or assistance		
3	Deduction of interest on borrowing :		
	(i) Interest payable/paid to the lender		
	(ii) Name of the lender		
	(iii) Address of the lender		
	(iv) Permanent Account Number of the lender		
	(a) Financial Institutions (if available)		
	(b) Employer (if available)		
	(c) Others		
4	Deduction under Chapter VI-A		
	(A) Section 80C, 80CCC and 80CCD		
	(i) Section 80C		
	(a) State Insurance		
	(b) LIC Premium		
	(c) NSC		
	(d) PPF		
	(e) GPF		
	(f) Group Insurance		
	(g) ULIP		
	(h) Re-payment of Housing Loan		
	(i) Interest accured on NSC		

	(j)	Tuition fees (Max for 2 Child)		
	(k)	Fixed Deposit in Bank for 5 years & above		
	(l)	Notified Bond of Nabard		
	(m)	Employee's contribution towards NPS u/s 80CCD (i) 10% of salary		
	(ii) Section 80CCC			
	(iii) Section 80CCD			
	(B) Other Sections (e.g. 80E, 80G, 80TTA, etc) under Chapter VI-A			
	(i) Section 80D- Medical Insurance Permium for himself, spouse and dependant Children maximum Rs. 25000/-, additional for parents Rs. 25000/-.			
	(ii) Section 80DD- Medical Treatment etc. of dependent handicaped person maximum Rs. 75000/-			
	(iii) Section 80U Physically Handicapped person or blind person maximum Rs. 75000/-			
	(iv) Section 80TTA - Interest from Saving Bank a/c up to Rs. 10000/-			
	(v) Section ………………			

Verification

I …………………………son/daughter of …………………………do hereby certify that the information given above is complete and correct.

Place : …………………	
Date ……………………	(Signature of the employee)
Designation ………………………………………………	Full Name :……………………………

DDO, RTU Kota